

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2389

बुधवार, 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडीओपी हेतु मानदंड

2389. श्री रमेश बिन्दु:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), योजना के माध्यम से प्रत्येक जिले को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादों का वैश्वीकरण करके रोजगार प्रदान करने योजना किस प्रकार से बना रहा है;
- (ख) ओडीओपी योजना के तहत जिलों के चयन की प्रक्रिया क्या है;
- (ग) क्या इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का भी चयन किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)**

(क) और (ख): केन्द्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की शुरूआत की है। ओडीओपी को किसी जिले की वास्तविक क्षमता का इस्तेमाल करने, आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने, रोजगार सृजन करने और ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में बढ़ाए गए परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है जो हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक ले जाएगा। ओडीओपी पहल का प्रचालनगत प्रयोजनों के लिए डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' पहल के साथ विलय कर दिया गया है, जिसमें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एक प्रमुख स्टेकहोल्डर है।

सरकार ने राज्य और केन्द्र सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर ओडीओपी पहल को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां शुरू की हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य जिले में निर्यात क्षमता के साथ उत्पादों को पहचान कर देश के प्रत्येक जिले को एक विनिर्माण और निर्यात केन्द्र में बदलना का है। ओडीओपी पहल डिजाइन, उत्पादन, विनिर्माण, पैकेजिंग और बाजार सृजन जैसे कार्यक्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में ब्रिकी को बढ़ावा देने के लिए जिलों में विनिर्माताओं/ उत्पादकों के साथ काम करती है जिससे रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है। ओडीओपी पहल के तहत, उत्पादों का चयन वास्तव में मौजूद इकोसिस्टम, डीईएच के तहत चिह्नित उत्पादों, जीआई टैग वाले उत्पादों और राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(ग) और (घ): जी हां, इस पहल के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में चिह्नित किए गए जिलों में भदोई जिला शामिल है। 'निर्यात केन्द्र के रूप में जिला' पहल के तहत चिह्नित किए गए उत्पादों का राज्य-वार/ जिला-वार ब्यौरा निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<http://exporthubs.gov.in/images/pdf/Final%20Product%20List.pdf>
